विगत 5 वर्षो में शिक्षा विभाग से सम्बन्धित महत्वपूर्ण घोषणाओं का विश्लेषण

क्रम.सं	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14
45	राज्य की 1 हजार 900 ग्राम पंचायतों में माध्यमिक विद्यालय नहीं है। अतः मैं घोषणा करता हूँ कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।		माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी को देखते हुए, प्रधानाध्यापक, स्कूल व्याख्याता, अध्यापक ग्रेड–द्वितीय एवं प्रयोगशाला सहायक के, कुल 25 हजार 406 नये पद स्वीकृत करने की मैं घोषणा करता हूँ।	वर्तमान में, राज्य की 79 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जिनमें राजकीय माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं। अतः इन सभी ग्राम पंचायतों में एक–एक उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करना प्रस्तावित है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act) एवं इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्मित नियमों की पृष्ठभूमि में नये विद्यालय खोलना एवं विद्यालयों का क्रमोन्नयन करना प्रस्तावित किया जा रहा है। वर्ष 2012–13 में 1 हजार नये प्राथमिक विद्यालय खोलने एवं 600 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की मैं घोषणा करता हूँ।	आगामी वर्ष 1 हजार नये प्राथमिक विद्यालय प्रारंभ किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त, 1 हजार प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक, 1 हजार उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक तथा 600 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय में माध्यमिक विद्यालय संचालित हों, इस हेतु आवश्यकतानुसार और विद्यालय क्रमोन्नत किये जायेंगे।
46	इसके साथ ही चालू वर्ष में 500 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोले जायेंगे।			राज्य में संचालित 200 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। अब यह प्रस्तावित है कि इन सभी 200 आवासीय विद्यालयों की छात्राओं को उच्च माध्यमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी। इस हेतु, वर्तमान में उपलब्ध सुविधा को	तहसील स्तर पर उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान, कला एवं वाणिज्य, तीनों संकायों में अध्ययन सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से नये संकाय खोलने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त, आगामी वर्ष 200 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान एवं 200 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वाणिज्य संकाय खोले जायेंगे।

				दृष्टिगत रखते हुए, आगामी 2 वर्षों में 140 विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत किया जायेगा।	
	माननीय सदस्य इस बात से परिचित हैं कि राज्य के दूर–दराज के इलाकों में शिक्षकों की कमी है। समानीकरण की व्यवस्था लागू करने से कुछ सीमा तक इस कमी की पूर्ति की जा सकती है। समानीकरण के पश्चात्, शिक्षकों के सभी रिक्त पदों को कार्यक्रम बनाकर चरणबद्ध रूप से भरा जायेगा। शिक्षक एक बड़ा वर्ग है, जिसमें प्रत्येक वर्ष लगभग 10 हजार शिक्षकों के पद सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त होते हैं। राज्य सरकार ने निश्चय किया है कि सेवानिवृत्ति से रिक्त होने वाले पदों पर भी, साथ ही साथ भर्ती प्रारंभ की जायेगी। माननीय सदस्य इस बात से परिचित हैं कि राज्य के दूर–दराज के इलाकों में शिक्षकों की कमी है। समानीकरण की व्यवस्था लागू करने से कुछ सीमा तक इस कमी की पूर्ति की जा सकती है।	राईट टू एजूकेशन एक्ट के लागू होने से हमारे शैक्षणिक परिवेश में आमूलचूल परिवर्तन होगा। अब यह आवश्यक है कि संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाये एवं शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाये। अतः हमनें निर्णय लिया है कि, आगामी वर्ष में विद्यालयों को सिर्फ क्रमोन्नत करने के बजाय, प्राथमिक स्तर से उच्च माध्यमिक स्तर तक के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करते हुए आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराई जायें, जिससे हमारे विद्यालयों में शिक्षा का अच्छा वातावरण सृजित हो सके। इसके लिए शिक्षा के प्रशासन तंत्र को मजबूत करते हुए प्रभावी पर्यवेक्षण की व्यवस्था भी की जायेगी। इस कड़ी में निम्न कदम उठाये जायेंगेः–	जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि हमारी सरकार ने प्राथमिक शिक्षा हेतु, 300 संस्कृत शिक्षकों सहित, 50 हजार शिक्षकों के पदों पर भर्ती करने का निर्णय लिया है। इस क्रम में **Right to Education Act** लागू होने के परिणामस्वरूप, अध्यापकों की नियुक्ति से पूर्व अध्यापक पात्राता परीक्षा **(TET)** उत्तीर्ण करना आवश्यक हो गया है। हमने **TET** के आयोजन हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अधिकृत कर दिया है और शीघ्र ही राज्य में इसका आयोजन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, नियुक्ति प्रक्रिया में, विशेष पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के मुद्दे पर न्यायिक प्रक्रिया के कारण जो विलंब हुआ, उसका भी समाधान होने से अब ये नियुक्तियां देना शीघ्र संभव हो सकेगा।	शिक्षक–छात्रा अनुपात में सुधार का शिक्षा की गुणवत्ता पर सकारात्मक प्रभाव होता है। इसे दृष्टिगत रखते हुए गत तीन वर्षों में विभिन्न विषयों के 8 हजार 395 द्वितीय श्रेणी शिक्षकों की नियुक्ति की गई तथा वर्तमान में 11 हजार 865 द्वितीय श्रेणी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त 41 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। इसी क्रम में, आगामी वर्ष, 20 हजार शिक्षकों की और भर्ती करने की मैं घोषणा करता हूँ।	नये खुलने वाले विद्यालयों एवं छात्रा–शिक्षक अनुपात में सुधार की दृष्टि से वर्तमान में 20 हजार तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त, आगामी वर्ष तृतीय श्रेणी अध्यापकों के 20 हजार पद, द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के 10 हजार पद एवं शारीरिक शिक्षकों के 5 हजार पद सृजित करने की, मैं घोषणा करता हूँ। शारीरिक शिक्षकों द्वारा विद्यालयों में योग का प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। इस हेतु शारीरिक शिक्षकों के सेवा नियमों में स्थाईकरण से पहले योग का प्रशिक्षण देने की योग्यता अर्जित करना अनिवार्य किया जायेगा।
	समानीकरण के पश्चात्, शिक्षकों के सभी रिक्त पदों को कार्यक्रम बनाकर चरणबद्ध रूप से भरा जायेगा। शिक्षक एक बड़ा वर्ग है, जिसमें प्रत्येक वर्ष लगभग 10 हजार शिक्षकों के पद सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त होते हैं। राज्य सरकार ने	(i) वर्ष 2010–11 में 1 हजार अतिरिक्त क्लास रूम्स का निर्माण कराया जायेगा, जिस पर लगभग 60 करोड़ रुपये की लागत आयेगी;			
47					

	निश्चय किया है कि सेवानिवृत्ति से रिक्त होने वाले पदों पर भी, साथ ही साथ भर्ती प्रारंभ की जायेगी।				
		(ii) कक्षा 9 से 12 में एन. सी.ई.आर.टी. के नेशनल करीक्यूलम फ्रेमवर्क के अनुसार अध्यापन करवाया जायेगा। राजस्थान राज्य से संबंधित ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए पाठ्यक्रम में एक अतिरिक्त पुस्तक भी शामिल की जायेगी;			
		(iii) राज्य में संचालित 200 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में से 74 को माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा, जिस पर 31 करोड़ रुपये ख़र्च होंगे; (iv) उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए अंग्रेजी विषय के 300 व्याख्याताओं के पदों का सृजन किया जायेगा; (v) Computer Aided Learning Programme (CALP) के अंतर्गत 2 हजार 500 अतिरिक्त विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा का विस्तार किया जायेगा; (vi) मूक बधिर एवं दृष्टिहीन छात्रों हेतु	**Right to Education Act, 2009** के 1 अप्रेल, 2010 से लागू होने के पश्चात् **NCTE** के निर्देशानुसार केवल प्रशिक्षित कार्मिकों को ही अध्यापकों के पदों पर नियुक्त किया जा सकता है। इसके कारण अधिकांश विधवा अथवा परित्यक्ता महिलायें, जो **BSTC** अथवा **B.Ed.** उत्तीर्ण नहीं हैं, तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पदों पर नियुक्त नहीं की जा सकती हैं। ऐसी महिलाओं हेतु 'विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना' चलायी जाकर उन्हें सरकारी खर्चे पर **BSTC** अथवा **B.Ed.** की योग्यता अर्जित करने की सुविधा दी जायेगी।	विभिन्न विषयों के शिक्षण कार्य हेतु, 'कल्प योजना' (Computer Aided Learning Programme) के अंतर्गत 7 हजार 310 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कंप्यूटर स्थापित किये जा चुके हैं। आगामी वर्ष, एक हजार राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 16 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से कंप्यूटर स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं। साथ ही, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु यह आवश्यक है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पुस्तकालय स्थापित किये जायें। राज्य में लगभग 24 हजार उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं,	राज्य के समस्त राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पुस्तकालयों की स्थापना की जा चुकी है। वर्ष 2013–14 में 10 हजार राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में भी पुस्तकालयों की स्थापना की जायेगी।

		संचालित निजी विद्यालयों के क्रमोन्नयन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा एवं इनके लिए संचालित दो राजकीय एवं छः अनुदानित विद्यालयों में अध्ययनरत् दृष्टिबाधित छात्रों को एक विशेष सॉफ्टवेयर की सहायता से अध्ययन करने की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी; (vii) अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं निःशक्त बालिकाओं को, बोर्ड की कक्षा 8, 10 और 12 की परीक्षाओं में, प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर, क्रमशः 25 हजार रुपये, 40 हजार रुपये एवं 50 हजार रुपये का इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार प्रदान किया जायेगा; एवं (viii) राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा 10 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मेरिट लिस्ट में आने वाली प्रथम तीन छात्राओं को विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जायेगा एवं शिक्षा पर होने वाला संपूर्ण व्यय बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा वहन किया जायेगा।		जिनमें से लगभग 12 हजार विद्यालयों में ही पुस्तकालय की सुविधा है। शेष सभी 12 हजार विद्यालयों में भी पुस्तकालय स्थापित करना प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम पर लगभग 16 करोड़ रुपये का ख़र्च प्रस्तावित है।	
			आगामी वर्ष से ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को, अपने रहवास वाले गाँव के	बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, हमनें पूर्व में आठवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के	

			अतिरिक्त अन्य स्थान पर राजकीय विद्यालयों में, आठवीं कक्षा पास करके कक्षा 9 में प्रवेश लेने पर, साईकिल योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जायेगा। पूर्व में इस योजना के अंतर्गत दसवीं कक्षा में अध्ययनरत् छात्राओं को ही यह सुविधा उपलब्ध थी। साईकिलों हेतु, छात्राओं के अंशदान की राशि 300 रुपये से घटाकर 100 रुपये की जायेगी। छात्राओं को साईकिल योजना के स्थान पर ट्रांसपोर्ट वाऊचर योजना का लाभ लेने का भी विकल्प दिया जायेगा। साईकिल योजना में इन प्रावधानों के परिणामस्वरूप, आगामी वर्ष, कक्षा 9 व 10 में अध्ययनरत लगभग 1 लाख 42 हजार छात्राओं को लाभान्वित किया जायेगा, जिस पर 28 करोड़ 50 लाख रुपये का व्यय होगा।	पश्चात्, राजकीय विद्यालय की नवीं कक्षा में प्रवेश लेने पर प्रदेश की प्रत्येक बालिका को साईकिल उपलब्ध करवाने की घोषणा की थी। इसके अतिरिक्त, आगामी वर्ष से ग्रामीण क्षेत्रों में **ट्रांसपोर्ट वाऊचर योजना** के अंतर्गत 5 रुपये प्रति उपस्थिति दिवस की दर को बढ़ाकर 20 रुपये प्रति उपस्थिति दिवस अथवा विद्यालय आने जाने का वास्तविक किराया, जो भी कम हो, की सुविधा छात्राओं को देय होगी।	
47	सर्व शिक्षा अभियान के तहत विभिन्न श्रेणी के 17 हजार 229 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है।	स्कूली शिक्षा की मुख्य धारा में 18 वर्ष तक के सभी छात्रों को लाने के लिए चाईल्ड ट्रेकिंग योजना क्रियान्वित की जायेगी, जिससे ड्राप आऊट एवं स्कूल से वंचित छात्रों को चिन्हित कर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके।	**Right to Education Act** के अंतर्गत प्रत्येक बच्चे को स्कूल की शिक्षा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से शिक्षा से वंचित बच्चों के चिन्हीकरण हेतु शिक्षा विभाग द्वारा एक चाईल्ड–ट्रेकिग सर्वे करवाया गया है। इस सर्वे के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि राज्य में अनामांकित अथवा		

			ड्रॉप–आउट बच्चों की संख्या लगभग 12 लाख है, जो कि एक चिंता का विषय है। इस समस्या के समाधान हेतु कार्ययोजना बनाकर अनामांकित एवं ड्रॉप–आउट बच्चों को शिक्षा से जोड़ने हेतु पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय जन–प्रतिनिधियों एवं विद्यालय प्रबंधन समितियों का सहयोग लिया जायेगा।		
48	शारीरिक शिक्षकों के 1 हजार रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ कर इन पदों को भर दिया जायेगा।			वर्तमान में 'इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना' का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशिष्ट पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष योग्य वर्ग की छात्राओं को दिया जा रहा है, जिसका दायरा बढ़ाते हुए अब सामान्य वर्ग की छात्राओं को भी इसका लाभ दिया जाना मैं प्रस्तावित करता हूँ।	
49	मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि इस वर्ष राज्य के 2 हजार माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रारंभ की जायेगी। इससे राज्य के 4 हजार 500 विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी, जिस पर 55 करोड़ रुपये ख़र्च होना अनुमानित है।		शिक्षा की दृष्टि से, राज्य के पिछड़े हुए 186 ब्लॉक्स, जिनके ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता की दर कम है तथा जेंडर गैप अधिक है, में से, 134 ब्लॉक्स में मॉडल स्कूलों का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जायेगा। इन मॉडल स्कूलों के निर्माण पर लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।		
50	राजस्थान मदरसा बोर्ड के	अल्पसंख्यक समुदाय की			प्रदेश के प्रत्येक जिला

	पंजीकृत मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मदरसों को उच्च प्राथमिक स्तर तक की मान्यता राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी।	बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जयपुर में एक छात्रावास का निर्माण करवाया जायेगा। राज्य में जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या अधिक है ऐसे पांच स्थानों पर ITI खोले जायेंगे।			मुख्यालय एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य 23 विकास खण्डों में अल्पसंख्यक समुदाय के बालक–बालिकाओं हेतु पृथक–पृथक छात्रावास खोले जायेंगे, जिस हेतु वर्ष 2013–14 में 56 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में 20 उच्च माध्यमिक आवासीय विद्यालय खोलना भी प्रस्तावित है, जिन पर लगभग 150 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।
51	मदरसों हेतु 2 हजार 500 सामान्य शिक्षा सहयोगियों की संविदा के आधार पर नियुक्ति की जायेगी। इसके अतिरिक्त राजकीय विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों के समस्त रिक्त पदों को शीघ्र भरा जायेगा।	मदरसा बोर्ड के विद्यालयों में 2 हजार 500 अतिरिक्त शिक्षा सहयोगी उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। वर्तमान में संचालित कई मदरसे उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत कर दिये गये हैं, अतः आगामी वर्ष में एक हजार शिक्षा सहयोगी और उपलब्ध करवाये जायेंगे। इसके अतिरिक्त मदरसों में पुस्तकालय, कम्प्यूटर, फर्नीचर, दरी व अन्य आवश्यक संसाधनों हेतु 2 करोड़ रूपये का प्रावधान प्रस्तावित है। मदरसों में कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षित सहयोगियों को संविदा पर लिया जायेगा।	अध्यापक ग्रेड–**II** के उर्दू शिक्षकों के 62 रिक्त पदों पर नियुक्ति, राजस्थान लोक सेवा आयोग में प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त आगामी वर्ष अध्यापक तृतीय श्रेणी के 500 पदों पर उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी।	इसके अतिरिक्त उर्दू विषय में स्कूल व्याख्याताओं के 100 पद, वरिष्ठ अध्यापकों के 200 पद तथा तृतीय श्रेणी अध्यापकों के 500 पद सृजित कर, आगामी वर्ष इन पदों पर नियुक्ति करना प्रस्तावित है।	आगामी वर्ष, मदरसों हेतु 1 हजार 500 कंप्यूटर पैराटीचर्स तथा 1 हजार 500 शिक्षा सहयोगियों की भर्ती की जायेगी। मदरसा पैराटीचर्स की विभिन्न श्रेणियों के मानदेय में 1 जुलाई 2013 से 600 से 800 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी की जायेगी।
				'राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना' लागू करना प्रस्तावित है जिसके अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं और बारहवीं कक्षा की परीक्षा में	राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं एवं बारहवीं कक्षा की परीक्षा में मेरिट में प्रथम 10–10 हजार,

मेरिट के अनुसार, प्रथम 10–10 हजार बालक–बालिकाओं को पुरस्कार के रूप में लैपटॉप दिये जायेंगे। साथ ही, प्रदेश के समस्त 24 हजार राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, प्रत्येक विद्यालय में आठवीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को, अर्थात कुल 24 हजार विद्यार्थियों को 'विशेष लर्निंग लैपटॉप्स' पुरस्कार के रूप में उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है। इस योजना के क्रियान्वयन पर आगामी वर्ष लगभग 70 करोड़ रुपये व्यय होंगे।	आठवीं कक्षा की परीक्षा में विद्यालय में प्रथम आने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित करने की योजना आगामी वर्ष भी जारी रखी जायेगी। आगामी वर्ष इस योजना का और विस्तार करते हुए कक्षा आठवीं में विद्यालय में दूसरे से ग्यारहवाँ स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को लगभग 6 हजार रुपये मूल्य के **'टेबलेट–पीसी'** उपलब्ध करवाये जायेंगे। इसके फलस्वरूप, आगामी वर्ष में, प्रदेश के लगभग 55 हजार बालक–बालिकाओं को **'लैपटॉप'** एवं लगभग 3 लाख 50 हजार बालक–बालिकाओं को **'टेबलेट–पीसी'** उपलब्ध हो सकेंगे, जिससे उनको कंप्यूटर व इंटरनेट के उपयोग हेतु प्रेरित किया जा सकेगा। इस योजना के क्रियान्वयन पर लगभग 350 करोड़ रुपये खर्च होंगे।